आपकी सफलता का प्रवेश द्वार .....

[redacted] कौटिल्य एकेडमी

AN ISO 9001 : 2015 CERTIFIED INSTITUTE

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान

सामान्य अध्ययन / GENERAL STUDIES

निर्धारित समय: 3 hour
Time Allowed :

अधिकतम् अंक 300
Maximum Marks

नाम. Name : Akanksha Garhwal

मोबाईल नं. Mobile No : 7703837099

ई-मेल पता. E-mail Address : akankshagarhwal44@gmail.com

रोल नं. Roll No : _____ दिनांक (Date) 15/Jan/2021

परीक्षा का माध्यम (Medium of Exam) हिन्दी

विद्यार्थी के हस्ताक्षर (Student's Signature) Akanksha

प्रश्न – पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश

कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़े :

- इसमें 3 प्रश्न हैं तथा सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
- प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश–पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न–सह–उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
- प्रश्नों में शब्द सामा, जहा विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
- उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रुप से काटा जाना चाहिए।

Question Paper Specific Instructions

Please read each of the following instructions carefully before attempting questions :

- There are 3 question and all the questions are compulsory.
- The Number of marks carried by a question/part is indicated against it.
- Answer must be written in the medium authorized in the admission certificate which must be started clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) booklet in the space provide.
- No marks will be given for answer written in a medium other than the authorized one.
- Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.
- Any page or portion of the page left blank in the answer book must be clearly struck off.

कुल प्राप्तांक (Total Marks Obtained) _____ टिप्पणी (Remarks) _____

प्रश्न संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)

A ऐसा संघवाद जिसमें केन्द्र के पास अधिक शक्तियां होते हुए भी केन्द्र - राज्य मध्य शक्ति पृथक्करण सिद्धांत लागू रहे। भारत में यह संघवाद मौजूद है।

B सीनेट अमेरिका का उच्च सदन है जो भारत के राज्यसभा के समतुल्य समझा जा सकता है।

D अनुच्छेद 32 के तहत परमादेश में उच्च अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों से उनके कार्यों के बारे में पूछा जाता है।

C

E

F

G यह पद 1969 में सृजित किया गया। सामान्यतः विपक्ष नेता प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष होता है एवं कई संसदीय समितियों से संबंधित होता है

H अनुच्छेद 323(क) के तहत प्रशासनिक अधिकारियों के वेतन, भत्ते, पद आदि संबंधित मुद्दों के समाधान हेतु अधिकरण है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

I

J 14(ए) -

K मानवाधिकार अधिनियम 1993 के तहत गठित आयोग है जिसमें एक अध्यक्ष सहित अन्य सदस्य होते हैं। यह एक सांविधिक आयोग है जो मानव अधिकार संबंधित कदम उठाता है।

L अनुच्छेद 335 संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोकसेवा आयोग आदि सार्वजनिक पदों में अनुसूचित जाति, जनजाति वर्गों के आरक्षण से संबंधित है

प्रश्न संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)

M

भारत में 18 वर्ष से अधिक आयु के वयस्क मतदाता को निर्वाचन में मत डालने हेतु यह फोटो पहचान पत्र प्रदान किया जाता है।

H

ऐसा संगठन जो बिना किसी निजी लाभ व संगठन हित से परिपूर्ण होकर सामाजिक उद्देश्यों हेतु गठित किया जाता है। जैसे - सेवा, आदि।

O

यह अनुच्छेद 164 के तहत राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।

2 A

अनुच्छेद 360 के तहत देश में या किसी राज्य में वित्तीय स्थिति में असंतुलन होने की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। इसके अन्तर्गत :

- प्रमुख पदाधिकारियों, लोकसेवकों, सांसदों, विधायकों के वेतन भत्तों में उचित कटौती की जा सकती है।
- राज्य वित्त बजट संबंधी प्रावधानों हेतु राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य हो जाती है।
- राज्य विधानमंडल वित्त संबंधी विधेयक आदि राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित एवं अनुमति से ही पारित किये जायेंगे।
- राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय लेनदेन संबंधी प्रक्रियाओं पर भी नियंत्रण लगाया जा सकता है।

वस्तुतः भारत में वर्तमान काल तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है।

2 D

कुछ निश्चित महिला व पुरुषों का एक सामाजिक-आर्थिक समूह जो आर्थिक गतिविधि एवं जीवन यापन के सुचारू रूप से व्यक्त होने हेतु गठित किया जाता है।

- यह समूह बैंक गतिविधि व इससे वंचित लोगों के मध्य व्याप्त अंतर को कम करता है।
- वित्तीय समावेशन एवं वित्तीय जागरूकता को प्रोत्साहित।
- महिला स्वयं सहायता समूह महिला सशक्तिकरण में सहायक
- बचत प्रोत्साहन एवं आर्थिक स्थिति बेहतरी सुनिश्चित।
- संगठन कार्यप्रणाली एवं विकास हर दृष्टि में सहायक

निश्चित ही यह एक अग्रगामी कदम है परन्तु उत्साह, वस्तु, तकनीक अभाव से यह समूह अपने वास्तविक उद्देश्यों को पाने में अभी पीछे हैं।

E

भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रमुख प्रावधान निम्न है

1) सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना।
2) केन्द्र - राज्य संबंध संबंधी प्रावधान एवं शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत।
3) केन्द्र में द्वैध शासन की स्थापना।
4) संघीय न्यायपालिका की स्थापना
5) संविधान सर्वोच्चता का सिद्धांत एवं संघ के स्तर पर राज्यों का प्रतिनिधित्व
6) शक्ति पृथक्करण के तहत संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची का निर्धारण।
7) इस अधिनियम के कई प्रावधान वर्तमान संविधान में परिलक्षित होते हैं यह एक आधारभूत अधिनियम है

F

संविधान संशोधन करने की शक्ति संसद को अनुच्छेद 368 के तहत प्रदत्त है जिसके अन्तर्गत संसद किसी विधेयक को साधारण बहुमत, विशेष बहुमत एवं विशेष बहुमत व आधे से अधिक राज्यों के समर्थन से पारित कर संशोधित कर सकती है। संसद की यह शक्ति असीमित नहीं है वस्तुतः न्यायपालिका के पुनरावलोकन के अन्तर्गत आती है। न्यायपालिका संविधान की मूल भावना या बुनियादी ढांचे में उल्लंघन के मद्देनजर इस शक्ति के तहत संशोधन को अमान्य घोषित कर सकती है।

निष्कर्षतः संविधान संशोधन जो संसद की एक अहम शक्ति है पर भी नियंत्रण लगाया जा सकता है।

G

G भारत का संविधान संघीय विशेषताओं एवं एकात्मकता होनो से युक्त है जहां शक्तिशाली केन्द्र के साथ संघटकनकारी राज्य का समावेशन सुनिश्चित है। प्रमुख एकीकरण के तत्व :

1) एकीकृत न्यायपालिका - सर्वोच्च न्यायालय अंतिम व्याख्याकार एवं संविधान का संरक्षक घोषित।

2) आपातकाल - इसके तहत अनुच्छेद 352, 356 एवं 360 के द्वारा केन्द्र को अधिक सशक्त बनाया गया है।

3) केन्द्र राज्य संबंध - संघ, समवर्ती सूची पर केन्द्र प्रमुखता।

4) कठोर, लिखित संविधान एकीकरण को संकेतित करता है।

5) सशक्त केन्द्र, एकीकृत संविधान, अखिल भारतीय सेवाएँ, राज्यों के प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव आदि तत्व संविधान की एकात्मकता को संकेतित करते हैं।

H भारत की आंतरिक सुरक्षा एक अहम पक्ष है जिसके तहत अर्द्धसैनिक बलों का समावेशन सुरक्षात्मक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है।

यह बल आपातकालीन परिस्थितियों में अपनी टुकड़ी भेजकर सुरक्षात्मक एवं मानवीय जीवन बचाने के तमाम प्रयास करते हैं। यह बल मुख्यतः केन्द्र के अधीन है एवं गृहमंत्रालय के अन्तर्गत समाविष्ट हैं। इन सैन्य बलों के माध्यम से प्रमुख स्थानों, परिसरों, आपदाओं एवं कार्यक्रमों में घटित होने वाले विदेशी, देशी अराजक तत्वों से सुरक्षा दिलाते हैं।

निश्चित ही इसमें तकनीक एवं प्रशिक्षण से बेहतर बलों का निर्माण किया जा सकता है।

J

यह अधिनियम संसद द्वारा 26 अक्टूबर 2005 को कानून किया गया था। जिसके अन्तर्गत घरेलू हिंसा से तात्पर्य किसी भी महिला के प्रति शारीरिक, मानसिक, वाचिक, भावनात्मक प्रताड़ना शामिल है। प्रमुख प्रावधान:

1) उपर्युक्त प्रताड़ना के तहत मारपीट, धमकाना, अपशब्द आदि शामिल है जो हिंसा के तहत माने जायेंगे।
2) इनसे सुरक्षा हेतु एक अधिकारी या एनजीओ को महिला हेतु नियुक्त किया जा सकता है।
3) जिले की प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट न्यायालय में शिकायत
4) अपराध संज्ञेय-असंज्ञेय दोनों श्रेणी में एवं दोषी व्यक्ति पर 1 साल की कैद या 20000 जुर्माना या दोनों का आरोपण।

L

K

संविधान का बुनियादी ढांचा अर्थात् जो संविधान की मूल भावना एवं उद्देश्य को प्रदर्शित करता है। इसके अन्तर्गत मूल अधिकारों का उद्देश्य, केन्द्र राज्य शक्ति पृथक्करण, न्यायालय स्वतंत्रता, प्रस्तावना का मूल भाव, संसद कानून निर्माण प्रक्रिया, आदि घटक शामिल है।

केशवानंद भारती वाद (1973) के अन्तर्गत संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन की मनाही का निर्णय दिया गया था।

L

लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का ही निर्वाचित सदस्य होता है जिसे सदन के बहुमत से अध्यक्ष पद निर्वाचित किया जाता है। इससे संबंधित प्रमुख प्रावधान:

1) संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है (अनु. 108)

2) संसदीय कार्यप्रणाली, संचालन एवं बैठकों संबंधी प्रावधानों का संचालन करता है।

3) अध्यक्ष सदस्य के तौर पर शपथ एवं अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपता है।

4) लोकसभा नियमावली का अनुसरण करना, सदन के स्थगन, विघटन का कार्य, सदस्यों के आचरणों पर नियंत्रण आदि कार्य।

धन विधेयक निर्णय आदि संबंधित अहम कदम अध्यक्ष के अन्तर्गत आते हैं।

प्रश्न संख्या: 3 B

संविधान में अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। यह आयोग देश में निर्वाचन एवं इससे संबंधित नियमावली व अन्य प्रावधानों हेतु एक निकाय है।

यह एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष सहित अन्य 2 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक इस पद हेतु पात्र होते हैं।

निर्वाचन आयोग के कार्यों को निम्नलिखित बिन्दुओं के तहत समझ सकते हैं:

1) निर्वाचक नामावली तैयार करना एवं चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन का कार्य करना।

2) उम्मीदवारों एवं राजनीतिक दलों हेतु आचार संहिता का निर्माण करना एवं इसके उल्लंघन पर कठोर कदम उठाना। वस्तुतः इसे अर्द्धन्यायिक शक्तियां हासिल है।

3) दलों को चुनाव चिन्ह का आवंटन करना।

4) निष्पक्ष चुनावी व्यवस्था एवं राजनीतिक भ्रष्टाचार एवं अपराधीकरण को रोकना।

5) चुनावों की तिथि, समय एवं इसी संदर्भ में नियमावली तैयार करना।

6) पीठासीन अधिकारी एवं अन्य कर्मचारियों की चुनावों में ड्यूटी का निर्धारण करना।

प्रश्न संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)

इन तमाम कार्यों के आधार पर देश में चुनाव संपन्न कराने का मुख्य जिम्मेदार आयोग है परन्तु इसमें कुछ आलोचनात्मक तत्व मौजूद हैं:

1) निर्वाचन आयोग में कॉलेजियम व्यवस्था का अभाव एवं राजनीति से प्रेरित होने के तत्व

2) पूर्णतः निष्पक्षता एवं जवाबदेहिता का अभाव जिसके कारण समय-समय पर आयोग पर पक्षपातीकरण के आरोप विपक्षी दलों द्वारा लगाये जाते रहते हैं।

इस दिशा में चुनाव सुधार हेतु भी कई कदम 2000 से पूर्व एवं पश्चात उठाये गये हैं:

1) ईवीएम मशीन का प्रयोग एवं वर्तमान में नए वीवीपीएटी मशीन का प्रयोग।

2) पिंक बूथ केन्द्र का निर्माण जहाँ केवल महिला कार्यकर्ता की मौजूदगी होगी।

3) चुनावी खर्च व चंदा 20000 से कम 2000 तक सीमित किया गया।

4) नोटा जैसे कदम आदि सराहनीय हैं। इसके साथ ही चुनाव सुधारवादी अन्य कदमों को उठाये जाने की आवश्यकता है –

1) एक देश एक चुनाव की संकल्पना जिसमें लोकसभा विधानसभा चुनाव एक ही समय संपन्न करना

2) राजनीतिक संपत्ति को आरटीआई के दायरे में लाना।

प्रश्न संख्या

कौटिल्य एकेडमी
आपकी सफलता का प्रवेश द्वार .....
AN ISO 9001 : 2015 CERTIFIED INSTITUTE
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)

3) राज्य द्वारा चुनावी चंदे पर पूर्णतः रोक
4) पारदर्शिता एवं जबावदेहिता सुनिश्चित करने जैसे अन्य कदम उठाना।

निष्कर्षतः चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है अतः आलोचनाओं के साथ सुधारवादी उपाय किये जाने चाहिए ताकि निष्पक्ष लोकतंत्र की स्थापना हो।

INDORE KAUTILYA ACADEMY

कौटिल्य एकेडमी
AN ISO 9001 : 2015 CERTIFIED INSTITUTE प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान
मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)

प्रश्न संख्या C

संविधान में भाग-4 के अन्तर्गत अनुच्छेद 36 से 51 तक नीतिनिदेशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। यह तत्व राज्य के लोककल्याणकारी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निर्मित एवं संविधान में शामिल किये गए है। इन तत्वों की अहम विशेषताएं निम्न है:

- यह राज्य द्वारा समर्थित होते हैं परन्तु न्यायपालिका के अन्तर्गत वाद योग्य नहीं है अर्थात् इनके उल्लंघन पर न्यायपालिका को नहीं जाया जा सकता।
- यह राज्य में लोककल्याणकारी योजनाओं एवं सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करने हेतु मार्ग प्रदान करते है।
- इनमें संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है बशर्ते बुनियादी ढांचे की भावना पर चोट न पहुंचे।
- यह राज्य को विकासात्मक एवं संतुलनकारी आकार प्रदान करने में मदद करते है।

नीतिनिदेशक तत्वों को मुख्यतः गांधीवादी, समाजवादी, आर्थिक एवं उदारवादी अवधारणा के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। प्रमुख नीतिनिदेशक तत्व निम्नलिखित है:

1) अनुच्छेद 39 के तहत समान कार्य हेतु समान वेतन की संकल्पना।
2) अनुच्छेद 44 के तहत एक समान नागरिक संहिता की अवधारणा।

कौटिल्य एकेडमी
AN ISO 9001 : 2015 CERTIFIED INSTITUTE
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)

3) अनुच्छेद 40- ग्राम सभा की स्थापना
4) हमने कुटीर लघु उद्योग को प्रोत्साहन एवं संवर्धन दिए जाने का प्रावधान
5) अनुच्छेद 48- पर्यावरण, वन संरक्षण एवं जैव विविधता संरक्षण हेतु प्रोत्साहित करना।
6) अनु० 51 - अन्तर्राष्ट्रीय संधियों का सही तौर पर क्रियान्वयन किया जाना।
7) अनुसूचित जाति, जनजाति के कल्याण एवं उत्थान संबंधी प्रावधान किए जाने चाहिए।
8) भाईकाओं के सशक्तिकरण एवं संवर्धन हेतु
9) उद्योगों को संवर्धन एवं एकसमान नीति का अनुसरण करना।

निश्चित ही यह तत्व नागरिकों के ऊपर बाध्यकारी नहीं है परन्तु इनके अनुसार नीतियों का क्रियान्वयन राज्य देश के हित में है।

जनसहभागिता से तात्पर्य है शासन प्रशासन के स्तर पर उनकी नीतियों के निर्माण व क्रियान्वयन में नागरिकों को शामिल कर अहम उद्देश्यों को प्राप्त किया जाना।

किसी भी देश में निर्णय प्रक्रिया के स्तर पर नागरिकों को शामिल कर उन्हें देश के विकास की धारा से जोड़ा जा सकता है- इसके तहत

1) नीतियों के निर्माण व क्रियान्वयन - लोकपाल, भ्रष्टाचार संबंधित कानून निर्माण में जनभागीदारी से सकारात्मक परिणाम सामने आये हैं।

2) नीतियों के तहत शासन व जनता में संवाद - जनसहभागिता से संवाद सुनिश्चित कर परस्पर सहयोग व विश्वास की भावना को बल मिलता है साथ ही समस्या निवारण हेतु सुझाव व जनता को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अनुभव होता है।

निश्चित ही नागरिकों की निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी सिर्फ आर्थिक व शारीरिक श्रम से ही नहीं बल्कि समस्त विकास से है जब नागरिक उत्तरदायित्व से युक्त होंगे तभी वास्तविक भागीदारी सामने परिलक्षित होगी।

कौटिल्य एकेडमी
AN ISO 9001 : 2015 CERTIFIED INSTITUTE
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)

जन सहभागिता / नागरिक भागीदारी का महत्व:

- जनसाधारण के भीतर इच्छाशक्ति उत्पन्न करना।
- समुदाय में उपलब्ध संसाधन पहचान एवं विकास करना।
- समुदाय में स्थानीय नेतृत्व प्रोत्साहन देना ताकि अन्य को प्रेरणा मिल सके।
- यह वास्तविक लोकतंत्र की प्रगति का माध्यम है।
- प्रशासनिक नेतृत्व प्राप्त करना।
- पारदर्शिता, जवाबदेहिता सुनिश्चित।
- नागरिकों में कर्तव्य निर्वहन भावना का विकास।
- उत्तरदायित्व ग्रहण करने की क्षमता का विकास
- निष्कर्षतः समूह, संगठन माध्यम से जनता को विकास प्रक्रिया से जोड़ा जा सकता है।